14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 2417–दो/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 5–10–2006 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 233 बी–121/1999–2000 निगरानी

1– रामनरेश पुत्र रामेश्वर प्रसाद
2– रामकुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद
ग्राम सुनहरा तहसील पन्ना
जिला पन्ना, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के पेनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 2–1 –2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 233 बी–121/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–10–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर दतिया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत बताया कि उनके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 543/2 रकबा 3.297 हैक्टर, 546/2 रकबा 0.830 हैक्टर, 546/3 रकबा 4.047 हैक्टर ग्राम लक्ष्मीपुर में स्थित थी जिसे बंदोवस्त के वाद ग्राम विक्रमपुर की सीमा में सम्मिलित कर दिया है। इसी भूमि के अभिलेख की दुरूस्ती हेतु सहायक बंदोवस्त अधिकारी पवई को प्रार्थना पत्र दिया था जिन्होंने प्रकरण क्रमांक 110 अ-6-अ/1990-91 में पारित आदेश दिनॉक 28-9-91 से भूमि को विक्रमपुर की सीमा से कम करके ग्राम लक्ष्मीपुर में सम्मिलित करने का आदेश पारित किया है जिसके अनुसार अभिलेख दुरूस्त कराया जाय। इस आवेदन पर कलेक्टर पन्ना ने प्रकरण क्रमांक 164 बी-121/ 1999-2000 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28-2-2000 पारित करके आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 233 बी-121/1999-2000 प्रस्तुत हुई अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 5-10-2006 पारित करके अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वित्तीय अपील है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया एंव Speaking Order पारित नहीं किया है। अपील मेमो में जो आपत्तियॉ उठाई गई हैं उनकी विवेचना नहीं की गई है।

सहायक बंदोवस्त अधिकारी का आदेश अपने स्थान पर सही है क्योंकि इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी नहीं हुई है। पटवारी व्दारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 28-9-91 का अमल नहीं किया, मात्र अमल कराने की प्रार्थना है इसलिये अपील स्वीकार कर अमल के आदेश प्रदान किये जॉय। शासन के पैनल लायर ने तर्को के दौरान बताया कि भूमि शासकीय है इसलिये भूमि की स्थिति यथावत् बनाये रखी जाय। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि कलेक्टर पन्ना ने आराजी क्रमांक 543/2 रकबा 3.297 हैक्टर, 546/2 रकबा 0.830 हैक्टर, 546/3 रकबा 4.047 हैक्टर की भूमि सुधार का आवेदन इसलिये अमान्य किया है क्योंकि सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने जिन सर्वे नंबरान के सुधार हेतु पुनरावलोकन की अनुमति मांगी थी, जो प्रकरण क्रमांक 152 अ-6-अ/1990-91 में प्रदान की गई । सहायक बंदोवस्त अधिकारी को ग्राम विक्रमपुर कलॉ की भूमि सर्वे नंबर 544,545,546,547 के अभिलेख को दुरूस्त करने की पुनरावलोकन अनुमति प्रदान की गई थी किन्तु उन्होंने इन सर्वे नंबरों की भूमि का सुधार न करते हुये सर्वे नंबर 543/2, 546/2, 546/3 के सुधार का आदेश कर दिया, जो अधिकार विहीन कार्यवाही है, जिसके कारण कलेक्टर जिला पन्ना ने आदेश दिनांक 28-2-2000 पारित करके आवेदगण का आवेदन अमान्य किया है। कलेक्टर पन्ना व्दारा आराजी क्रमांक 543/2 रकबा3.297 हैक्टर, 546/2 रकबा 0.830 हैक्टर, 546/3 रकबा

4.047 हैक्टर की जॉच कराने पर स्थिति यह पाई है कि यह भूमि ग्राम लक्ष्मीपुर की होकर वर्ष 1955-56 में जंगल मद की दर्ज रही है जिसके कारण कलेक्टर पन्ना के प्रकरण कमांक 164 बी-121/ 1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 28-2-2000 में किसी प्रकार का दोष नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अपील कमांक 233 बी-121/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 5-10-2006 में कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 233 बी-121/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-10-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर